

क्रमांक: प.3(2)वित्त/साविलेनि/2020

जयपुर, दिनांक : 21.01.2026

आदेश

विषय : लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-I में संशोधन।

राज्यपाल महोदय लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-I में निम्नांकित संशोधन करने के आदेश एतद्वारा प्रदान करते हैं:-

The existing Rule 594, which was deleted by Order No.3(2)FD/GF&AR/2020 dated 23.11.2020, shall be partially restored as under :-

"594. Deposit transactions of Engineering Departments are of two kinds :


- (i) Public Works Deposits, which pass through the regular accounts of the Division.
- (ii) Interest bearing securities.

Deposits of the first kind comprise transactions of the following classes, which are passed through the Account Head 'Public Works Deposits'.

- (a) Cash Deposits of subordinates as security.
- (b) Cash Deposits of contractors as security.
- (c) Deposits for works (other than takavi works) to be executed.
- (d) Sums due to contractors on closed accounts, and
- (e) Miscellaneous Deposits.

The Interest-bearing securities referred to in class II are deposited by subordinates and contractors. These do not pass through the regular accounts of the Division.

Bank Guarantees in favour of the Governor of Rajasthan may be obtained by contractors from Nationalized or Scheduled Banks in lieu of security deposits referred to in classes I and II, wherever permitted under the Rules in this Volume, and terms and conditions of contract and lodged with the Divisional Officer."


(राजन विशाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. अति.मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव/मुख्य अभियंता, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
9. वित्तीय सलाहकार, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
10. कोषाधिकारी समस्त।
11. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित।
12. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि इस आदेश को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण।


संयुक्त शासन सचिव

(PWF&AR - 113/2026)